राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शौध संस्थान
राजस्थान, टोंक

नागरिक अधिकार पत्र

हमारा उद्देश्य

मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शौध संस्थान राजस्थान, टोंक के कार्यो में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना, संस्थान की गतिविधियों एंव योजनाओं से नागरिकों को अवगत रखना तथा आम आवश्यकताओं एंव समस्याओं के निराकरण बाबत जानकारी देने हेतु यह नागरिक अधिकार पत्र जारी किया जा रहा है।

हमारी वचनबद्धता

पारदर्शिताः–

विभागीय कार्य प्रणाली में सरलता, नियमां में स्पष्टता, कार्य सम्पादन में सहजता रखना एंव संस्थान से संबंधित सभी पहलुओं की आधुनिक तकनीक के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाना।

जवाबदेहीः–

नागरिक अधिकार पत्र के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शौध संस्थान राजस्थान, टोंक विभाग प्रशासन की प्रमुख कड़ी निदेशक, शोध अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष, लेखाकार, शोध सहायक, गवेषक, अनुवादक, कटेलॉगर आदि के स्तर पर जवाबदेही, कार्य दायित्व एंव तत्संबंधी समय सीमा का निर्धारण करना।

संवेदनशीलताः–

नागरिकों का सम्मान एंव संतुष्टि के साथ उनकी समस्याओं को सुनना एंव उनका त्वरित गति से समाधान करना।

गुणवत्ताः–

मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शौध संस्थान राजस्थान, टोंक द्वारा सम्पादित होने वाले कार्यो की गुणवत्ता के बाबत नागरिकों को स्पष्ट एंव संतोषप्रद जानकारी देना।

विभाग के कार्य एंव निष्पादन की प्रकिया

निदेशक द्वारा गठित समिति द्वारा कार्य निष्पादन किया जाता है जिस पर अंतिम निर्णय निदेशक स्तर से लिया जाता है। शोध संबंधी कार्य शोध अधिकारी द्वारा नियमानुसार सम्पादित किया जाता है जिसकी विस्तृत जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(ख) पर उपलब्ध है।

विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारियों / कार्मिकों के नाम, टेलीफोन नम्बर तथा उनके द्वारा सम्पादित कार्यो का विवरण

सूची एंव कार्य का विवरण विभाग की वेब साइट "www.maapritonk.nic.in" पर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(ख) पर उपलब्ध है।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विवरण

(1) राजस्थान में उपलब्ध या राजस्थान से संबंधित अरबी, फारसी के एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता के मूल स्त्रोतों का एकत्रीकरण, संरक्षण एंव परिरक्षण।

(2) अरबी, फारसी शोध एंव अध्ययन का उत्थान एंव विकास जो प्रारम्भिक रूप में उपरोक्त वर्णित सामग्री पर आधारित हो। इस प्रकार विद्वानों को सुविधाऐं एंव सुलभताएं प्रदान करना।

(3) मूल स्त्रोतों का सम्पादन, अनुवाद, प्रकाशन और डिसाईफरिंग कार्य करवाना।

(4) संस्थान के उददेश्यों की पूर्ति एंव सम्पादन, डिसाईफरिंग तथा शोध के मूल स्त्रोतों के अनुवाद आदि में सहयोग हेतु दक्ष विद्वानों की सेवाऐं प्राप्त करना।

(5) संस्थान के अतिरिक्त अन्य संगठनों के पास शोध की दृष्टि से महत्वपूर्ण अरबी, फारसी की उपलब्ध मूल सामग्री का डॉक्यूमेन्टेशन करना तथा ऐसें कार्य में इन संस्थाओं को सुविधाऐं एंव सहयोग प्रदान करना।

(6) अरबी, फारसी अध्ययन में शोध करने के तरीको (रिसर्च मेथाडोलोजी) की तकनीकी कला को उत्साहित एंव स्थापित करना एंव इस बाबत सुविधाऐं जुटाना।

(7) उपेक्षित प्राच्य कलाओं तथा कैलीग्राफी और पेलियोग्राफी आदि का प्रारम्भ करना और उनके अध्ययन को उत्साहित करना।

(8) पारितोषिक, स्कालरशिप एंव फैलोशिप आदि स्कीमों को प्रारम्भ करना और प्राच्य विद्या के क्षेत्र में शोध तथा उच्च अध्ययन हेतु अवार्डस प्रदान करना।

(9) संस्थान के लक्ष्यों एंव उददेश्यों की प्राप्ति हेतु समस्त आवश्यक साधन उपलब्ध कराना और उनका विकास यथा सेमीनार, सिम्पोज़िया, चर्चा, कान्फ्रेन्स, कार्यशाला, प्रदर्शनियां एंव एक्सटेन्शन लेक्चर आदि और शोध पत्रिका प्रकाशित करना।

नागरिकों द्वारा सेवा प्राप्त करने की प्रकिया

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(ख) के अनुसार नागरिकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर वांछित अभिलेख का अवलोकन किया जा सकता है तथा अभिलेख की छाया प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।

सेवा प्रदान करने के शुल्क का विवरण तथा उसे उपलब्ध कराने की समयावधि का उल्लेख एंव प्रकिया

देश विदेश के शोधार्थियों को संस्थान में संरक्षित मूल स्त्रोतों को उनके विषयों से संबंधित शोध कार्यो के लिए अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया जाकर सहायता प्रदान की जाती है। इनकी फोटो प्रति 1रू0 प्रति पृष्ठ के अनुसार शोधार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है। शोधार्थियों के ठहरने हेतु रियायती दरों पर गेस्ट हाउस उपलब्ध कराया जाता है। जिसका शुल्क 10 रू0 प्रतिदिन है।

जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निस्तारण की व्यवस्था

जन अभाव अभियोग/जन समस्याओं के निस्तारण हेतु नागरिक अपना आवेदन निम्न अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते है तथा आवश्यकता होने पर व्यक्तिगत सम्पर्क भी कर सकते हैः–

01. निदेशक–	01432–247389– 9414348086
02. शोध अधिकारी–	01432–247389– 9251603104

सूचना का अधिकार के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करने की व्यवस्थाओं का उल्लेख आदि

नागरिकों को अविलम्ब सूचना उपलब्ध करवाने हेतु विभाग में सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एंव उनके अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये हुये है। निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त की जा सकती है।

अधिकार पत्र के प्रावधानों की पालना एंव उल्लघंन के संदर्भ में विभागीय निर्देशों का विवरण

निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर नागरिकों को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी।

कार्य प्रणाली में परिवर्तन

कार्य के मानदण्डः–

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के कार्य मानदण्डों का स्पष्ट निर्धारण एंव दायित्व वहन करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता निश्चित की गई है जो सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)(ख) पर उपलब्ध है।

सूचना का अधिकारः–

इस विभाग के कार्य सम्पादन में रूचि रखने वाला व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा कराकर अभिलेखों की नकल सहायक लोक सूचना अधिकारी अथवा लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त कर सकता है।